

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 31/03/2008


क्रमांक एफ-10/32/2008/वाक/पांच (26) – चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, अतएव केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 8 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा, व्यवसायी के वर्ग को कालम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक, उक्त अनुसूची के कालम (4) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों तथा शर्तों के अधीन 1 अप्रैल, 2008 से 31 मार्च, 2009 तक की कालावधि के लिए कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है:-

अनुसूची

अ.क्र.	वस्तुओं की श्रेणी	छूट की सीमा	निर्बन्धन तथा शर्तें जिनके अध्ययीन रहते हुए छूट प्रदान की गई है
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	पीतल, तांबा तथा कांसे की चद्दरे और सर्कल एवं एल्युमिनियम स्क्रेप से निर्मित चद्दरे तथा सर्कल	अंशतः इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 1 प्रतिशत हो जाए।	
2.	जूट बेग्स	अंशतः इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 1 प्रतिशत हो जाए।	
3.	लोहा की चद्दरे	अंशतः इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 1 प्रतिशत हो जाए।	
4.	सायकल के पुर्जे	अंशतः इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 1 प्रतिशत हो जाए।	
5.	तैयार वस्त्र	अंशतः इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 1 प्रतिशत हो जाए।	
6.	जूट कपड़ा एवं जूट रस्सी	अंशतः इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 1 प्रतिशत हो जाए।	

7.	ट्रांसफार्मर	अंशतः इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 1 प्रतिशत हो जाए।	जब छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित औद्योगिक इकाई द्वारा उत्पादित एवं विक्रित हो।
8.	पैकेट चाय	अंशतः इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 1 प्रतिशत हो जाए।	जब पंजीकृत व्यवसायी, जो राज्य में स्थित एक लघु उद्यम, जहां संयंत्र और मशीनरी में विनिधान एक करोड़ रूपए से अधिक न हो एवं छत्तीसगढ़ राज्य में उद्योग विभाग में पंजीयत हो, द्वारा प्रसंस्करण / ब्लेंडिंग पश्चात् बेची जाए।
9.	स्पंज आयरन	अंशतः इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 1 प्रतिशत हो जाए।	


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(के.आर. मिश्रा)
संयुक्त सचिव

रायपुर, दिनांक 31/03/2008

क्रमांक एफ-10/32/2008/वाक/पांच-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/32/2008/वाक/पांच(26), दिनांक 31/03/2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(के.आर. मिश्रा)
संयुक्त सचिव

Government of Chhattisgarh
Commercial Tax Department
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated

No. F-10/ /2008/CT/V () – Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary so to do in public interest.




Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (5) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956), the State Government hereby, on the fulfillment of the requirements laid down in sub-section (4), exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below from payment of tax under the said Act to the extent specified in column (3) subject to the restrictions and conditions specified in column (4) of the said Schedule, for the period from 1st April, 2008 to 31st March, 2009:-

SCHEDULE

S.No.	Class of Goods	Extent of Exemption	Restrictions and conditions subject to which exemption is granted
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sheets and circles of brass, copper and kansa and sheets and circles manufactured out of aluminium scrap	Partly so as to reduce the rate of tax to 1 percent.	
2.	Jute bags	Partly so as to reduce the rate of tax to 1 percent.	
3.	Iron Sheets	Partly so as to reduce the rate of tax to 1 percent.	
4.	Cycle parts	Partly so as to reduce the rate of tax to 1 percent.	

5.	Readymade garments	Partly so as to reduce the rate of tax to 1 percent.	
6.	Jute cloth and jute twine	Partly so as to reduce the rate of tax to 1 percent.	
7.	Transformer	Partly so as to reduce the rate of tax to 1 percent.	When manufactured and sold by an industrial unit situated in Chhattisgarh State.
8.	Packet Tea	Partly so as to reduce the rate of tax to 1 percent.	When sold by a registered dealer after processing/ blending, who is a small enterprise, where the investment in plant and machinery does not exceed one crore rupees and registered in industries department in Chhattisgarh State.
9.	Sponge Iron	Partly so as to reduce the rate of tax to 1 percent.	

By order and in the name of
the Governor of Chhattisgarh,



(K.R. Misra)
Joint Secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर


अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 30/4/2008


क्रमांक एफ-10/40/2008/वाक/पांच (32) – चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, अतएव केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 8 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा, व्यवसायी के वर्ग को कालम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक, उक्त अनुसूची के कालम (4) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों तथा शर्तों के अधीन 1 मई, 2008 से 31 मार्च, 2009 तक की कालावधि के लिए कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है:-

अनुसूची

अ.क्र.	वस्तुओं की श्रेणी	छूट की सीमा	निर्बन्धन तथा शर्तें जिनके अध्ययन रहते हुए छूट प्रदान की गई है
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	एल्युमिनियम से बने थर्मैडिट फ्लक्स (एल्युमिनियम पाउडर) वायर्स, केबल्स, स्ट्रीप्स, वाइडिंग वायर, फॉइल, कन्डक्टर्स और एक्सट्रुडेड सेक्शन्स।	अंशतः इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 2 प्रतिशत हो जाए।	
2.	खाद्य तेल एवं खली	अंशतः इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 2 प्रतिशत हो जाए।	
3.	अर्थ मूविंग, सडक निर्माण, सामग्री हस्तन तथा खनन उपकरण।	अंशतः इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 2 प्रतिशत हो जाए।	
4.	इन्गोर्ट्स, जो केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 14 के खण्ड (चार) की श्रेणी (दो) में वर्णित है।	अंशतः इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 2 प्रतिशत हो जाए।	
5.	केमिकल्स	अंशतः इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 2 प्रतिशत हो जाए।	जब छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित एक लघु उद्यम, जहां संयंत्र और मशीनरी में विनिधान एक करोड़ रूपए से अधिक न हो, द्वारा उत्पादित एवं विक्रित हो।

6.	केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 के खंड (चार) के प्रवर्ग (चार) तथा (पांच) में वर्णित लोहा एवं इस्पात, हूप्स, स्ट्रीप्स, फीश प्लेट बार्स, बेयरिंग प्लेट बार्स एवं इनके छोर की कटिंग्स।	अंशतः इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 2 प्रतिशत हो जाए।	जब छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित रि-रोलिंग मिल द्वारा उत्पादित एवं विक्रित हो।
7.	एल्युमिनियम के सभी उत्पाद-प्रायमरी और सेकण्डरी।	अंशतः इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 2 प्रतिशत हो जाए।	जब भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमि. कोरबा द्वारा उत्पादित एवं विक्रित हो।
8.	फेरो एलायज।	अंशतः इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 2 प्रतिशत हो जाए।	
9.	केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 14 के खण्ड (चार) के प्रवर्ग (ग्यारह) में वर्णित स्टील पाईप।	अंशतः इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 2 प्रतिशत हो जाए।	


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(के.आर. मिश्रा)
संयुक्त सचिव

रायपुर, दिनांक 30/4/2008

क्रमांक एफ-10/40/2008/वाक/पांच-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/40/2008/वाक/पांच(32), दिनांक 30/4/2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(के.आर. मिश्रा)
संयुक्त सचिव

**Government of Chhattisgarh
Commercial Tax Department
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur**

NOTIFICATION

Raipur, Dated 30/4/2008

No. F-10/40/2008/CT/V (32) – Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary so to do in public interest.



Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (5) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956), the State Government hereby, on the fulfillment of the requirements laid down in sub-section (4), exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below from payment of tax under the said Act to the extent specified in column (3) subject to the restrictions and conditions specified in column (4) of the said Schedule, for the period from 1st May, 2008 to 31st March, 2009:-

SCHEDULE

S.No.	Class of Goods	Extent of Exemption	Restrictions and conditions subject to which exemption is granted
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Thermite flux (Aluminium powder) wires, cables, strips, winding wire, foil, conductors and extruded sections made of aluminium.	Partly so as to reduce the rate of tax to 2 percent.	
2.	Edible oil and oil cake.	Partly so as to reduce the rate of tax to 2 percent.	
3.	Earth moving, road constructions, material handling and mining equipments.	Partly so as to reduce the rate of tax to 2 percent.	

4.	Ingots, as specified in category (ii) of clause (iv) of section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956).	Partly so as to reduce the rate of tax to 2 percent.	
5.	Chemicals	Partly so as to reduce the rate of tax to 2 percent.	When manufactured and sold by a small enterprise situated in Chhattisgarh state, where the investment in plant and machinery does not exceed one crore rupees.
6.	Iron and steel as specified in categories (iv), (v) of clause (iv) of section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956 hoops, strips, fish plate bars, bearing plate bars and end cutting thereof.	Partly so as to reduce the rate of tax to 2 percent.	When manufactured and sold by re-rolling mill situated in Chhattisgarh State.
7.	All products of Aluminium primary and secondary.	Partly so as to reduce the rate of tax to 2 percent.	When manufactured and sold by Bharat Aluminium Company Ltd., Korba.
8.	Ferro alloys	Partly so as to reduce the rate of tax to 2 percent.	
9.	Steel tubes as specified in category (xi) of clause (iv) of section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956).	Partly so as to reduce the rate of tax to 2 percent.	When manufactured and sold by an industrial unit situated in Chhattisgarh State.

By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh,


(K.R. Misra)
Joint Secretary